न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 46 /2017, 47/2017, जिला दौसा ।

अपील संख्या 46 /2017 जिला–दौसा

सायर कंवर बेवा जसवंत सिंह, जाति राजपूत, निवासी देहलाल तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

-- अपीलान्ट

बनाम

1. कल्याण पुत्र रंगलाल, जाति गुर्जर , निवासी निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. भोली देवी पत्नि नाथूलाल, जाति मीना, निवासी छत्रसाल नगर, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, वार्ड नं. 28, जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 7.6.2017 उनवानी अपील नं. 15/2012 सायर कॅवर बनाम कल्याण, नामांतरकरण संख्या 480 दिनांक 18.7.2012 ग्राम देहलाल, तहसील लालसोट

अपील संख्या 47/2017 जिला– दौसा

चित्रा।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सायर कंवर बेवा जसवंत सिंह, जाति राजपूत, निवासी देहलाल, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. फैली पुत्र गंगू
2. शान्ति देवी पत्नि चीगा लाल
3. बृजमोहन पुत्र चीमालाल
4. कमलेश पुत्र चीमालाल
5. रामकरण पुत्र चीमालाल
6. हरसहाय पुत्र चीमालाल
7. रामेश्वरी देवी पत्नि प्रभातीलाल
8. भरतलाल पुत्र प्रभातीलाल
9. लटूर पुत्र प्रभातीलाल
10. लाला पुत्र प्रभातीलाल

    समस्त जाति जोगी, निवासी निर्झरना, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
11. भोली देवी पत्नि नाथूलाल, जाति मीना, निवासी छत्रसाल नगर, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, वार्ड नं. 28, जयपुर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 7.6.2017 उनवानी अपील नं. 16/2012 सायर कँवर बनाम फैली, नामांतरकरण संख्या 481 दिनांक 18.7.2012 ग्राम देहलाल, तहसील लालसोट

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलार्थी
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक – 31.12.2019

यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 7.6.2017 के खिलाफ पृथक–पृथक प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु , पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम देहलाल, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नं. 117 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार कल्याण पुत्र रंगलाल कौम गुर्जर था एवं इसी ग्राम स्थित आराजी खसरा नं. 110 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार फैली पुत्र गंगू, शान्ति देवी पत्नि स्व.चिमा लाल, बृजमोहन, कमलेश, रामकरण, हरसहाय, पिसरान चिमालाल, रामेश्वर देवी पत्नि स्व.प्रभातीलाल, भरतलाल, लटूरलाल पिसरान प्रभातीलाल कौम जोगी थे । आराजी खसरा नं. 117 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार कल्याण द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.5.2011 से भोलीदेवी पत्नि नाथूलाल मीणा को विक्रय कर दी और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार लालसोट द्वारा नामांतरकरण संख्या 480 दिनांक 18.7.2012 केता भोली वगैरह के नाम स्वीकार कर दी तथा आराजी खसरा नं. 110 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार फैली वगैरह ने भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भोलीदेवी पत्नि नाथूलाल जाति मीणा को दिनांक 26.5.2011 से विक्रय कर दी और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 481 तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 18.7.2012 को केता भोली के नाम स्वीकार कर दी ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त नामांतरकरण संख्या 480 व 481 दिनांक 18.7.2012 के खिलाफ पृथक–पृथक अपीलें अपीलान्ट सायर कंवर द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की, जो अतिरिक्त कलेक्टर, दौसा के पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 7.6.2012 द्वारा निरस्त की गई एवं अपीलांट अपने हकों का निर्धारण करवाने, रेस्पोडेन्ट की खातेदारी निरस्त करवाने व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने आदि की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं ।

पक्षकारों के मध्य हकों के निर्णय हेतु विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन से पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबादी बढ़ने की संभावना के मध्येनजर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक विवादग्रह आराजी का हस्तांतरण नहीं करने व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति रखे जाने हेतु पाबंद किया तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा को विचारण न्यायालय में विवाद के अंतिम निर्णय तक अथवा अन्य सक्षम न्यायालय के अन्य आदेश जो भी पहले हो, तक इस निर्णय की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

अतिरिक्त कलेक्टर, दौसा के उपरोक्त पृथक–पृथक निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट सायर कंवर द्वारा यह पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2017 व तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 18.7.12 बाबत नामांतरकरण संख्या 480 एवं 481 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम देहलाल स्थित आराजी खसरा नं. 117 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार कल्याण पुत्र रंगलाल था एवं आराजी खसरा नं. 110 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार फैली पुत्र गंगू, शान्ति देवी पत्नि स्व. चिमा लाल, बृजमोहन, कमलेश, रामकरण, हरसहाय, पिसरान चिमालाल, रामेश्वर देवी पत्नि स्व. प्रभातीलाल, भरतलाल, लटूरलाल पिसरान प्रभातीलाल कौम जोगी थे । उपरोक्त खातेदारों द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.5.2011 से रेस्पोडेन्ट संख्या भोली देवी पत्नी नाथूलाल को विक्रय करने पर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 480, 481 तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.7.12 को तस्दीक कर दिये गये । उनका कहना था कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट एवं उसके परिवार का प्राचीन समय से कब्जा काश्त है । रेस्पोडेन्ट्स का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है । अपील संख्या 47/17 के रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 10 विवादित भूमि के पूर्व खातेदार कालू पुत्र गंगू के वारिस नहीं हैं तथा अपील संख्या 46/17 के रेस्पोडेन्ट सं.1 विवादित भूमि के पूर्व खातेदार मूल्या पुत्र हरलाल के वारिस नहीं हैं । बल्कि फर्जी वारिस बनकर भूमि हड़पने की गरज से अपने नाम फर्जी नामांतरकरण दर्ज करवाकर खातेदारी अंकित कराई गई है । जिसके संबंध में एफ.आई.आर.पुलिस थाना रामगढ पचवारा में दर्ज करवाई है, जिसमें अपराध प्रमाणित होने पर मुल्जिम गिरफ्तार हो चुके हैं । उनका कहना था कि विवादित भूमि बाबत दावे न्यायालय सहायक

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कलेक्टर लालसोट के समक्ष उनवानी सायर कंवर बनाम कल्याण व सायर कंवर बनाम फैज़ी विचाराधीन थे । उक्त दावो में स्थगन आदेश जारी हुआ था लेकिन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील करके प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार से तस्दीक करा लिया । उनका कहना था कि अपीलांट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति थे जिन्हें तहसीलदार द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया बिना प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपीलें दस्तावेजात को नजरअंदाज करते हुए व अपना अभिमत व्यक्त किये बिना खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पक्षकारों के मध्य वाद न्यायालय में विचाराधीन हो और उसमें स्थगन हो तो नामांतरकरण जैसी प्रक्रियाओं को नहीं करना चाहिये । उनका यह भी कहना था कि नामांतरकरण तस्दीक करने का अधिकार प्रथम 45 दिन तक ग्राम पंचायत को होता है लेकिन तहसीलदार ने तस्दीक करने में क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उनका कहना था कि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी के स्वीकृत नामांतरकरण का तो उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने आदेश दिनांक 3.8.2017 से निरस्त कर दिया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना अपीलें खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण व अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावें।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद विवादित भूमि के विक्रय के आधार पर हुए प्रश्नगत नामांतरकरणों के संबंध में है। विवादित भूमि के खातेदारों द्वारा भूमि केता भोली देवी को विक्रय की गई थी, जिसके आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा केता भोलीदेवी के नाम तस्दीक किये गये हैं । प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलांट सायर कंवर की अपीलें अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.17 द्वारा निरस्त की गई एवं अपीलांट अपने हकों का निर्धारण करवाने, रेस्पोडेन्ट की खातेदारी निरस्त करवाने व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने आदि की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं । पक्षकारों के मध्य हकों के निर्णय हेतु विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन से पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबादी बढ़ने की संभावना के मध्येनजर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक विवादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण नहीं करने व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति रखे जाने हेतु पाबंद किया तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा को विचारण न्यायालय में विवाद के अंतिम निर्णय तक अथवा अन्य सक्षम

न्यायालय के अन्य आदेश जो भी पहले हो, तक इस निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये । अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति है कि विवादित भूमि उनके पूर्वजो के कब्जे काश्त की भूमि है । विवादित भूमि खसरा नं. 117 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा राजस्व अभिलेख में मूल्या पुत्र हरला के नाम दर्ज होना एवं मूल्या के फोत होने व ग्राम पंचायत अमराबाद द्वारा निर्णय दिनांक 5.5.2011 से कल्याण पुत्र रंगलाल के नाम नामांतरकरण संख्या 475 तस्दीक करने एवं आराजी खसरा न. 110 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार काल्या पुत्र गंगू के फोत होने पर ग्राम पंचायत अमराबाद द्वारा निर्णय दिनांक 5.5.2011 से नामांतरकरण संख्या 476 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 के नाम तस्दीक किये जाने के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा में अपीलांट की अपीलें निर्णय दिनांक 3.8.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिये गये कि प्रकरण में पुनः विधिवत तरीके से नियमानुसार वारिसान कब्जा संबंधी जॉच कर नामांतरकरण तस्दीक के आदेश पारित करें । हम समझते हैं कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के संबंध में हक–हकूक बाबत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है एवं वाद में ही पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों के मध्य यदि अधिकारों के निर्धारण के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण नहीं किया जावे एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति रखी जावे ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी न बढ़े । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2017 उचित एवं विधि सम्मत है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं दोनों अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त कलेक्टर, दौसा दिनांक 7.6.2017 यथावत रखे जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर